बेदखली के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देश व मानक क्या हैं, जिनका अनुपालन आवश्यक है?

अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों के अतिरिक्त मानवाधिकार से संबंधित अनेक विशिष्ट मानकों व दिशा-निर्देशों को भी व्यवहार में अपनाये जाने की जरूरत है ताकि यह सुनिशिचत किया जा सके कि प्रभावित आबादी के अधिकार सुरक्षित हैं। बेदखली एवं विस्थापन पर आधारित विकास की सोच को लेकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांत व दिशा-निर्देश सदस्य राज्यों व गैर सदस्य राज्योंें के लिए विस्तृत चरण निर्धारित करते हैं, जिनका असामान्य परिसिथतियों में घटित होने वाली बेदखली की सिथति में अनुपालन आवश्यक है।

बेदखली एवं विस्थापन पर आधारित विकास को लेकर 'उपयुक्त आवास के सम्बन्ध में निर्धारित संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल सिद्धांत व दिशा-निर्देश (2007) संयुक्त राष्ट्र के ही विशेष प्रतिवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये तथा उन पर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने भी अपनी सहमति प्रदान की है।

इन दिशा-निर्देशों में अनेक उपयोगी प्रावधान समिमलित हैं जो मानवाधिकारों की सुरक्षा पर केनिद्रत हैं। ये दिशा-निर्देश मुख्य रूप से:-

- बेदखली व विस्थापन की संभावनाओं को विकल्पों के जरिये कम करने का प्रयास करते हैं।

- विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि असामान्य परिसिथतियों में बेदखली की कार्यवाही सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा तथा लोगों की व्यापक भलाई को देखकर ही की जा सकती है।

- असामान्य परिसिथतियों में बेदखली की सिथति में कार्य संचालन की पद्धति निर्धारित करते हैं जिनका सदस्य राज्यों तथा गैर सदस्य राज्यों दोनों के द्वारा बेदखली की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अर्थात बेदखली की प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के दौरान एवं प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुपालन हो सके।

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश व्यक्त करते हैं कि असामान्य परिसिथतियों में बेदखली केवल जन कल्याण को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। ऐसी सभी कार्यवाहियां कानून द्वारा अधिष्ठित हों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप क्रियानिवत हों, तार्किक व आनुपातिक हों तथा इनमें पूरा-पूरा व न्याय संगत मुआवजे के साथ ही पुनर्स्थापन सुनिशिचत हो।

1. बेदखली से पूर्व (पैराग्राफ 37-44)

बेदखली से पूर्व सरकार के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन आवश्यक है:-

क) बेदखली के निर्णय तथा मौजूद वैकलिपक प्रस्तावों पर कानूनी चुनौती का अवसर दिये जाने के लिए प्रभावित लोगों के साथ प्रभावपूर्ण परामर्श करना अथवा आम सुनवाइयां आयोजित करना।

ख) प्रस्तावित बेदखली से विकास व प्रयोग की संभावना से पूर्ण वास्तविक मूल्य और नुकसान (सामग्री, वस्तु व अन्य) अनुमान का निर्धारण करने के लिए 'बेदखली असर आकलन का पालन करना।

ग) खाली कराये जाने वाले स्थल का सर्वेक्षण करना, जो विशेषकर प्रभावित लोगों व अत्यधिक उपेक्षित समूहों की पहचान करने के लिए आवश्यक है।

घ) वास्तविक रूप में प्रभावित सभी लोगों को लिखित में तथा स्थानीय भाषा में बेदखली की सही तिथि के नोटिस जारी किये जाएं जिनमें बेदखली के निर्णय तथा पुनर्वास की योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से स्पष्टीकरण शामिल हो।

ड.) प्रभावित लोगों को उनके अधिकारों तथा विकल्पों के लिए कानूनी, तकनीकी एवं अन्य सलाह की सुविधा मुहैया कराना। जरूरत पड़ने पर उन प्रभावितों को मुफ्त कानूनी मदद प्रदान करना।

च) प्रभावित समुदाय को पुनर्वास स्थल में बसाने से पूर्व उस स्थल को 'उपयुक्त आवास की व्यवस्था को èयान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप तैयार करना।

2. बेदखली के दौरान (पैराग्राफ 45-51)

बेदखली की कार्यवाही के दौरान सरकार (एवं कार्यवाही में समिमलित सभी सरकारी संस्थाओं) को चाहिए:-

क) बेदखली वाले स्थल पर सरकारी अधिकारियों जन प्रतिनिधियों एवं अथवा तटस्थ पर्यवेक्षकों की उपसिथति सुनिशिचत करना।

ख) यह सुनशिचत करना कि असामान्य मौसम की सिथतियों में, रात्रि के समय में, धार्मिक अवकाश एवं उत्सवों के दौरान, विधालयी परीक्षाओं से पूर्व या परीक्षाओं के दौरान बेदखली की कार्यवाही न हो।

ग) यह सुनिशिचत करने के लिए कदम उठाना कि महिलाआेंं के साथ लिंग आधारित भेदभाव व हिंसा न हो तथा बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें।

घ) यह सुनिशिचत करना कि कोई भी व्यकित हमलों व हिंसा का शिकार न हो अथवा मनमाने ढंग से संपत्ति व अन्य चीजों से वंचित न हो।

ड.) बल का कानूनी प्रयोग करते समय आवश्यकता एवं समानता के सिद्धांत का सम्मान किया जाए।

च) बेदखली से प्रभावित लोगों को उनके घरों तक छोड़ने के लिए एवं पुनर्वास स्थल

तक ले जाने में सहायता करना।

3. बेदखली के बाद (पैराग्राफ 52-58)

बेदखली के बाद सरकार (कार्यवाही में शामिल सभी सरकारी पक्ष) के लिए निम्न कार्य करने आवश्यक हैं:-

क) यथाशीघ्र न्यायसंगत मुआवजा तथा समुचित वैकलिपक आवास उपलब्èा कराना।

ख) यह सुनिशिचत करना कि बेदखली के कारण किसी एक बड़े परिवार के सदस्य अथवा किसी समुदाय के सदस्य एक दूसरे से अलग न किये गये हों।

ग) यह सुनिशिचत करना कि सभी योजनाओं की प्रक्रियाओं में एवं मूलभूत सेवाओं व आपूर्ति के वितरण में महिलाओं की समान भागीदारी हो।

घ) सभी बेदखल लोगों की समुचित चिकित्सीय देखभाल व मनोवैज्ञानिक सहायता की जाए। महिलाओं और बच्चों की जरूरताें पर विशेष èयान दिया जाए।

ड.) यह सुनिशिचत करना कि चयनित किया गया पुनर्वास स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के अनुरूप 'उपयुक्त आवास के मानकों को पूरा करता है।

च) यह सुनिशिचत करना कि महिलाएं, बच्चे, असहाय लोग तथा अन्य उपेक्षित समूह समान रूप से संरक्षित हैं तथा उनके स्वामित्व के अधिकार सुरक्षित हैं।

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश सुनिशिचत करते हैं कि-

1. बच्चों के मानवाधिकार पूर्णत: सुरक्षित हैं।

2. उपयुक्त आवास के लिए बच्चों के अधिकारों का हनन न होने पाये और जबरन

बेदखली में बच्चों की सुरक्षा सुनिशिचत हो।

3. 'बेदखली प्रभाव आकलन के समय जबरन बेदखली से बच्चों पर पड़ने वाले असंगत प्रभावों का èयान रखा जाए।

4. इस बात पर बल देते हैं कि बेदखली की कार्यवाहियों के दौरान बच्चों पर किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई औचित्य नहीं है।

5. यह स्पष्ट करते हैं कि जबरन बेदखली की कार्यवाहियां स्कूली परीक्षाओं के दौरान अथवा परीक्षाओं से पूर्व नहीं की जा सकतीं।

6. लाभ से वंचित समूहों जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को घर तथा भूमि आवंटन में प्राथमिकता देना आवश्यक है।

7. यह स्पष्ट करते हैं कि बेदखली के बाद तुरंत राहत एवं पुनर्वास के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा तथा बाल सुरक्षा जैसी सुविधाओं का प्रावधान जरूर शामिल किया जाए।

8. पुनर्वास स्थलों के दायरे में विधालयों तथा बाल सुरक्षा केन्द्रों को शामिल करना आवश्यक है।

9. बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित रहें। इसके लिए बच्चों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश सुनिशिचत करते हैं कि-

1. महिलाओं को उपयुक्त आवास एवं उसके उपयोग की समय-सीमा की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार के एक समान लाभ प्राप्त हैं। (सभी महिलाओं को घर एवं भूमि पर स्वामित्व का अधिकार मिलना चाहिए।)

2. महिलाओं को जबरन बेदखली से सुरक्षा का समान अधिकार प्राप्त है।

3. 'बेदखली असर आकलन जैसे कार्यक्रम महिलाओं पर बेदखली के असंगत प्रभावों को निर्धारित करते हैं।

4. बेदखली के दौरान महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा एवं भेद-भाव का विषय नहीं हैं।

5. महिलाएं हर तरह के मुआवजे की एकमुश्त धनराशि में पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से लाभार्थी हैं।

6. महिलाओं को सभी प्रकार की योजनाओं तथा निर्णय प्रक्रियाओं में समान रूप से भाग लेने और प्रभावपूर्ण बात रखने का हक है, ताकि घरेलू, सामुदायिक, संस्थागत, प्रशासनिक, कानूनी तथा अन्य लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को नियंत्रित किया जा सके।

7. महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुरक्षित किये गये हैं, अर्थात महिलाओं को प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न व अन्य किसी भी शोषण का शिकार होने की सिथति में महिला स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वालों तथा संबंधित सभी सेवाओं तक सीधे पहुंच बनाने का अधिकार है।

8. अकेली रहने वाली महिलाएं तथा विधवाएं अपने स्वयं के मुआवजे हेतु अधिष्ठित हैं।

9. महिलाओं के अधिकारों, खासतौर से आवास तथा भूमि से संबंधित महिलाओं की चिंताओं एवं जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं।